तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 145/2022(जी.सी.एम.एस. नंबर 2022/236) बअनवान चैनाराम बनाम उम्मेदाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

चैनाराम

बनाम

उम्मेदाराम इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री उम्मेदसिंह बावरला अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 7/1
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 08

आदेश

दिनांक 20.01.2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 48/2022 अनवान चैनाराम व अन्य बनाम उम्मेदाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 07 जून 2022 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 09 जून 2022 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तत्पश्चात विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1222 रकबा 3.18 बीघा, खसरा नं. 1222/1 रकबा 3.18 बीघा ग्राम देवनगर तहसील बालेसर अपीलांट संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसका विधिवत विभाजन होना है। रेस्पोडेंट्स की ओर से वादग्रस्त आराजी का फर्जी बंटवाड़ा दस्तावेज तैयार किया था, जिसका

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 145/2022(जी.सी.एम.एस. नंबर 2022/236) बअनवान चैनाराम बनाम उम्मेदाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मुकदमा पुलिस थाना बालेसर में विचाराधीन है। वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन सहखातेदारों के मध्य आज तक नहीं हुआ है, न ही बंटवाड़ा की कोई लिखापढी हुई है तथा न ही सक्ष न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा किया हुआ है। रेस्पोडेंट्स अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा कर बेचान करने पर आमादा है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। विचारण न्यायालय में मूल वाद विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपने केस को बखूबी साबित किया गया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से इंकार कर दिया गया।ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्तागण के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का विभाजन हो चुका है। रेकर्डेड खातेदार को कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध होने से पोषणीय नहीं होने से तथा सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 145/2022(जी.सी.एम.एस. नंबर 2022/236) बअनवान चैनाराम बनाम उम्मेदाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2078-2081 ग्राम देवनगर के खाता संख्या 30, 113 नवीन एवं पुराना खाता संख्या 110, 5 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1222 रकबा 0.3613 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के नाम से सामलाती दर्ज है तथा खसरा नं. 1222/1 रकबा 0.6313 हैक्टेयर रेस्पोडेंट संख्या सात के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। विचारण न्यायालय में विभाजन के मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी खुर्द-बुर्द न हो, इसलिए वादग्रस्त आराजी को मूल वाद के विचाराधीन रहते संरक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नही ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा मामला निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07 जून 2022 को अपास्त किया जाता है तथा मामला विचारण न्यायालय को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वह उक्त ऑब्जर्वेशन के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे। तब उभय पक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 145/2022(जी.सी.एम.एस. नंबर 2022/236) बअनवान चैनाराम बनाम उम्मेदाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एक-दूसरे के कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर